

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]


भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 04<sup>th</sup> जनवरी, 2021

अधिसूचना

सं. 02/2021 -सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.\_\_\_\_ (अ)। - केंद्र सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संख्या जी.एस.आर. 593(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2002 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 55/2002-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 23 अगस्त, 2002 की अधिसूचना के द्वारा बनाई गई सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2002, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, को एतद्वारा निरस्त करती है।

  
4.1.21  
(आनंदराधाकृष्णन)

उप सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. 275/16/2018-सीएक्स.8क(भाग)]